भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1848
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

कासरगोड में डाकघरों का बंद होना और उनका विलय

1848. श्री राजमोहन उन्नीथन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्व कारणों का हवाला देते हुए तालंकारा, उप्पाला गेट और होस्बेट्टू सहित कासरगोड जिले में लंबे समय से चले आ रहे उप-डाकघरों और शाखा डाकघरों को बंद करने या उनका विलय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये डाकघर बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं तक सीमित पहुंच के साथ तटीय और ग्रामीण आबादी को सेवा प्रदान करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु बचत योजनाओं, पेंशन संवितरण और वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्थानीय निकायों और कर्मचारी संगठनों से ऐसे बंद किए जाने के विरोध में सार्वजनिक विरोध और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दूर-दराज और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में आवश्यक डाक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) विभागीय मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले डाकघरों का विलय/पुनर्स्थापन कर दिया जाता है। चूंकि, उप्पाला गेट और होस्बेट्टू शाखा डाकघर विभागीय मानदंडों को

पूरा नहीं कर रहे हैं, अतः इन डाकघरों का विलय कर दिया जाएगा। तथापि, तालंकारा (तालांगरा) उप डाकघर का विलय करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) जी, हां। ये डाकघर तटीय और ग्रामीण इलाकों की आबादी को सेवा प्रदान करते हैं। तथापि, इन क्षेत्रों के लोगों को अन्य डाकघरों और बैंकों की शाखाओं द्वारा भी बैंकिंग एवं डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ग) लघु बचत योजनाओं, पेंशन संवितरण और वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है और इसका ब्यौरा **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

(घ) जी, हां। प्रधान डाकघर कासरगोड के सामने संयुक्त समर समिति द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। सर्विस यूनियनों (एनएफपीई और एफएनपीओ के जेसीए) ने प्रधान डाकघर कासरगोड के समक्ष धरना प्रदर्शन किया था।

(ङ) भारतीय डाक के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए मेले और विशेष अभियान आयोजित किए जाते हैं। डाक विभाग अपने डाकघरों के बड़े नेटवर्क के माध्यम से मेल डिलीवरी सेवाओं के साथ-साथ वित्तीय समावेशन सेवाओं सहित सभी ज़रूरी डाक सेवाएं प्रदान कर रहा है और ये देशभर, जिसमें सभी दूर-दराज और आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र भी शामिल हैं, में जारी रहेंगी।

*****

अनुबंध

"कासरगोड में डाकघरों का बंद होना और उनका विलय" विषय पर दिनांक 11 फरवरी, 2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1848 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

1. जहां तक तालांगरा (तालांगरा) डाकघर का प्रश्न है, इसके अधिकार क्षेत्र में कोई पेंशन लाभार्थी नहीं है। तालांगरा डाकघर को प्रधान डाकघर कासरगोड में विलय करने के प्रस्ताव पर विचार करते समय, केवल 1,886 खाते थे, जिनमें से बचत खातों की संख्या केवल 450 थी। चूंकि, 1,211 आवर्ती जमा खाते हैं, इनमें अधिकांश खाते महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई) एजेंटों के माध्यम से तालांगरा क्षेत्र के बाहर के जमाकर्ताओं द्वारा खोले गए थे। वहां, वर्तमान में 2 अन्य सहकारी बैंक (केरल बैंक और कासरगोड टाउन सहकारी बैंक) कार्यरत हैं। अतः, इस विलय का वित्तीय समावेशन पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. उप्पाला गेट शाखा डाकघर के मामले में, इस वित्तीय वर्ष के दौरान केवल 26 नए खाते खोले गए और उस डाकघर में कुल खातों की संख्या 264 है। इसी तरह, होस्बेट्टू शाखा डाकघर में केवल 236 खाते हैं और पास के उप डाकघर और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को देखते हुए, इसका वित्तीय समावेशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। होस्बेट्टू शाखा डाकघर ने दिनांक 30.09.2025 तक केवल 40 नए खाते खोले हैं। चालू वित्तीय वर्ष में शाखा डाकघर द्वारा खोले जाने वाले खातों की न्यूनतम संख्या 400 है।